न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 34/22 (वाद)

1. श्री लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण पिता उंकारलाल कुम्हार निवासी सिहाड़ तहसील भीण्डर।

...........वादी

बनाम्

1. श्री प्रभुलाल पिता खेमराज कुम्हार निवासी सिहाड़ तहसील भीण्डर।
2. श्री मन्ना पिता भेरा कुम्हार निवासी सिहाड़ तहसील भीण्डर।
3. श्री नाथू पिता रूपलाल कुम्हार निवासी सिहाड़ तहसील भीण्डर।
4. श्री भंवरलाल पिता रूपलाल कुम्हार निवासी सिहाड़ तहसील भीण्डर।
5. श्रीमती गंगा बाई बेवा रूपलाल कुम्हार निवासी सिहाड़ तहसील भीण्डर।
6. श्री शंकरलाल पिता मिठूलाल कुम्हार निवासी सिहाड़ तहसील भीण्डर।
7. श्री मती गंगा बाई पत्नी मिठूलाल कुम्हार निवासी सिहाड़ तहसील भीण्डर।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री अभिमन्यु जाट, अधिवक्ता वादीगण।
2 श्री शरिफ मो. अधिवकता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 05.07.2022

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिहाड पटवार हल्का सिहाड़ भू अभिलेख निरिक्षक कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में निम्न आराजीयात स्थित है जो वादग्रस्त है

(क)

आराजी न. 527, 528, 529 किता 3 रकबा 20 बिघा 13 बिस्वा लगानी 1.50 रूपया स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता स्व. उंकारलाल एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है।

(ख)

आराजी नम्बर 504, 505, 509, 510, 512, 511, 515, 516, 517 किता 9 रकबा 8 बिघा 18 बिस्वा लगानी 7.28 रूपया स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता स्व. उंकारलाल एवं प्रतिवादीगण 1 से 7 के नाम दर्ज है।

2. कि वादी एवं प्रतिवादी 1 से 7 के खानदान का सजरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:59 IST
Reason: SelfAttested

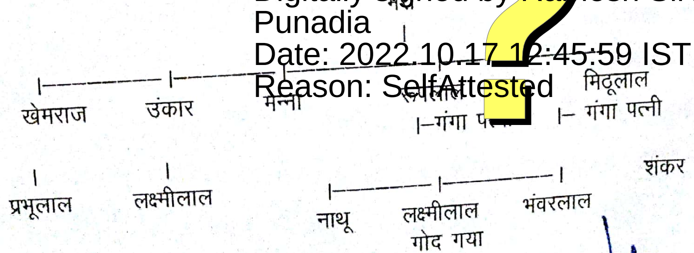

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

कि मुल पुरूष भेरा जी एवं उनके पुत्र खेमराज, उंकार, रूपलाल, मिठूलाल की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान का सजरे में वर्णन है। उंकार जी का निधन 16.09.10 को हो चुका है।

4. कि वादग्रस्त भूमि में वादी के पिता उंकार जी का 1/5 हक हिस्सा है और उनके बजाय वादी का 1/5 हक हिस्सा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उंकारलाल के बजाय वादी के नाम का अंकन नही होने से वादी के हक हिस्से पर बुरा असर पड़ रहा है एवं वादी को ऋण लेने, भूमि का विकास करने में दिक्कत आ रही है जिससे वादी को वादग्रस्त भूमि बाबत् घोषणा कराने का अधिकारी है।

5. कि बिनाय वाद विरूध प्रतिवादीगण दि. 19.03.14 को पैदा हुआ जब कि वादी पटवारी हल्का के पास खाते की नकल लेने के लिए गया ओर राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता के नाम हिस्से का गलत अंकन देखा तब वादी ने प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी को कानूनी कार्यवाही कराने के लिए कहा।

6. कि अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूध निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावें कि वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित परिशिष्ठ क एवं ख में वर्णित भूमि के 1/5 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन कराया जावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवाद संख्या 2, 5, 6 द्वारा जवाब पेश कर कहा गया कि वाद के हक में उक्त आशय की डिक्री किये जाने से प्रतिवादी संख्या 2, 5 , 6 को कोई आपति नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 द्वारा राजीनाम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 में आपसी राजीनाम हो गया है अतः वादी को स्व. श्री उंकारलाल के बजाय 1/5 हिस्से की खातेदारी दिये जाने से प्रतिवादी संख्या 3, 4 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।

8. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू-1 श्री लक्ष्मीलाल का पेश किया।

9. वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत 2068-2071 प्रदर्श 1 है। नकल जमाबंदी संवत 2068-71 खाता संख्या 135 प्रदर्श 2 है। आधार कार्ड लक्ष्मीलाल कुम्हार प्रदर्श 3A है। गोदनामा हस्त लिखित की फोटाप्रति प्रदर्श 4A पेश किये।

10. प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में स्व. उंकारलाल पिता भेरा कुम्हार के नाम पर दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

उंकारलाल की मृत्यु दिनांक 16.09.2010 को होना बताया है। उंकारलाल के कोई संतान नही होने से उंकारलाल ने अपने जीवनकाल में अपने भतीजे लक्ष्मीलाल को गोद रखने का कथन किया है। जिसका गोदनाम प्रदर्श 4A है। अतः गोदनामा प्रदर्श 4A के आधार पर उंकारलाल के नाम दर्ज भूमि को वादी द्वारा अपने नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की है।

12. वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में लिखित गोदनामा दिनांक 02.11.85 का प्रस्तुत किया है जो प्रदर्श 4A है जिसके आधार पर स्व. उंकारलाल पिता भेरा द्वारा अपने भतीजे लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण को अपने जीवनकाल में ही दिनांक 02.11.85 को गोद लिया गया था। जिसमे उंकारलाल द्वारा कथन कहा गया था कि मेरे हिस्से की 1/5 जमीन का लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण हकदार होगा। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा उंकारलाल के हिस्से की भूमि को लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण के नाम दर्ज किये जाने पर कोई आपति जाहिर नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश किया गया। प्रकरण में लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण के गोद जाने से लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण का अपने जैविक पिता रूपलाल की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं रहता है वादी लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण का हिस्सा अपने गोद पिता उंकार लाल की संपत्ति में रहता है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि स्व. उंकारलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही लिखित गोदनामा द्वारा वादी श्री लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण को गोद लिया गया था। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण को स्व. उंकारलाल के बजाय खातेदार घोषित करने पर कोई आपति नहीं जताई एवं लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण ने अपना नाम अपने जैविक पिता रूपलाल के वारिसानो के नाम से नाम हटाने की सहमति प्रदान की। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा सिहाड पटवार हल्का सिहाड़ भू अभिलेख निरिक्षक कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में परिशिष्ट (क) की आराजी न. 527, 528, 529 किता 3 रकबा 20 बिघा 13 बिस्वा लगानी 1.50 रूपया व परिशिष्ट (ख) की आराजी नम्बर 504, 505, 509, 510, 512, 511, 515, 516, 517 किता 9 रकबा 8 बिघा 18 बिस्वा जिसकी नवीनतम जमाबंदी संवत 2078–2081 खाता संख्या नया 12 के आराजी नम्बर 794, 798 से 805 किता 9 रकबा 4.2600 हैक्टेयर में खातेदार उंकारलाल के बजाय वादी श्री लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण का नाम उक्त खाते से [illegible] रूपलाल के हिस्से से नाम हटाया जाने के आदेश दिये [illegible] में [illegible] लक्ष्मण पिता रूपलाल के नाम दर्ज भूमि रूपलाल के अन्य वारिसान के नाम नियमानुसार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

5/7

(रमेश सीरवी पुनादिया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिकी व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर
बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण पिता उंकारलाल कुम्हार निवासी सिहाड़ तहसील भीण्डर।

............वादी

बनाम्

1. श्री प्रभुलाल पिता खेमराज कुम्हार निवासी सिहाड़ तह. भीण्डर।
2. श्री मन्ना पिता भेरा कुम्हार निवासी सिहाड़ तह. भीण्डर।
3. श्री नाथू पिता रूपलाल कुम्हार निवासी सिहाड़ तह. भीण्डर।
4. श्री भंवरलाल पिता रूपलाल कुम्हार निवासी सिहाड़ तह. भीण्डर।
5. श्रीमती गंगा बाई बेवा रूपलाल कुम्हार निवासी सिहाड़ तह. भीण्डर।
6. श्री शंकरलाल पिता मिठूलाल कुम्हार निवासी सिहाड़ तह. भीण्डर।
7. श्री मती गंगा बाई पत्नी मिठूलाल कुम्हार निवासी सिहाड़ तह. भीण्डर।

............प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 34 / 22 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिकी किया जाता है कि मौजा सिहाड पटवार हल्का सिहाड़ भू अभिलेख निरिक्षक कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में परिशिष्ट (क) की आराजी न. 527, 528, 529 किता 3 रकबा 20 विघा 13 बिस्वा लगानी 1.50 रूपया व परिशिष्ट (ख) की आराजी नम्बर 504, 505, 509, 510, 512, 511, 515, 516, 517 किता 9 रकबा 8 बिघा 18 बिस्वा जिसकी नवीनतम जमाबंदी संवत 2078–2081 खाता संख्या नया 12 के आराजी नम्बर 794, 798 से 805 किता 9 रकबा 4.2600 हैक्टेयर में खातेदार उंकारलाल के बजाय वादी श्री लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण का नाम उक्त खाते से अपने जैविक पिता रूपलाल के हिस्से से नाम हटाया जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खाते में हिस्सा लक्ष्मण पिता रूपलाल के नाम दर्ज भूमि रूपलाल के अन्य वारिसान के नाम नियमानुसार दर्ज [illegible] जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत [illegible] 05.[illegible]2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:59 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner